न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—30 / 19 (2019 / 00007) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—किशन आत्मज लक्ष्मण माली निवासी नाबाबे जरिये माता मांगीबाई बेवा लक्ष्मण माली निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—पंकज आत्मज लक्ष्मण माली निवासी नाबाबे जरिये माता मांगीबाई बेवा लक्ष्मण माली निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—मांगीबाई बेवा लक्ष्मण माली निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—भुरालाल आत्मज हजारी माली निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—शान्तिलाल आत्मज हजारी माली निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—बंशीलाल आत्मज देवीचन्द माली निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—केशी पुत्री रामा पत्नि माधु बैरवा नि. तौलास हाल नि. जागदरी तह. व जिला भीलवाडा
3—चांदी पुत्री रामा पत्नि माधु बैरवा नि. तौलास हाल नि. सुन्दरपुरा तह. व जिला भीलवाडा
4—तुलछी पुत्री रामा पत्नि देवीलाल बैरवा नि. तौलास हाल नि. पालड़ी तह.,जिला भीलवाडा
5—भोली पुत्री रामा पत्नि घीसा बैरवा नि. तौलास हाल नि. बामणिया तह. बनेड़ा
6—बक्षु आत्मज मांगु बैरवा निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 05.08.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम तौलास पटवार हल्का बोरिययापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 536 रकबा 0.43 हे0 भूमि स्थित होकर अन्य आराजियात के साथ खाता संख्या 25 पर स्थित है। प्रार्थीगण अपनी उक्त में पूर्वजो के समय से ग्राम तौलास से आखरिया नामक सेजा वाले बिलानाम रास्ते से होकर जो नदी के किनारे पर स्थित है आगे विपक्षी संख्या दो लगायत पांच के सयुंक्त खातेदारी की आराजी संख्या 570 की पश्चिमी पाली पर होकर आगे प्रार्थीगण व अन्य सामलाती कुआं की आराजी संख्या 535 की छुट मे से होकर संज, बैल, गाड़ी, पैदल, ट्रेक्टर आदि सहित उक्त रास्ते से आवागमन करते हैयह रास्ता करीब 10—12 फीट चौड़ा मौके पर स्थित है व रास्तानुमा आकृति में ही बना हुआ है किन्तु वर्तमान में आराजी संख्या 570 जो कि रास्ते की है पिवक्षी संख्या 2 के पिता व 5 के पिता के नाम दर्ज है ओर रामा की मृत्यु होने से उनके वारीसान विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 है ने विपक्षी संख्या 6 के साथ मिलकर उक्त रास्ते को आराजी संख्या 570 को बिलानाम रास्ते के समीप दिनांक 09.10.2018 को छडित्रया डाल बन्द कर दिया जिससे प्रार्थीगण आवागमन करने से वछिंत हो रहे है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्राथीगर्ण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 536 मे संज, बैल, गाड़ी, पैदल, ट्रेक्टर आदि सहित आवागमन करने का एकमात्र रास्ता जो कि ग्राम तौलास से आखरिया नामक खेतो में जाने वाले बिलानाम रास्ते से होकर आगे विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 की आराजी संख्या 570 की पश्चिमी पाली पर 10 फीट चौड़ाई में स्थित है को को बिलानाम रास्ता दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे औश्र बतौर मुआवजा राशि जमा कराने का आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 21.02.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से अधिकार पत्र फारूख मोहम्मद द्वारा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से अपने जबाव में अंकन किया कि उक्त वर्णित आराजी का विपक्षी संख्या 1 सह खातेदार होने पर भी उक्त आराजियात के लिये रास्ता नही चाहा गया है ओर आवागमन के लिये बिना किसी सह खातेदार के रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी की आराजी संख्या 570 की पश्चिमी पाली पर रास्ता बताया गया जो गलत है। आराजी संख्या 570 काफी छोटा रकबा है जिसमे सभी विपक्षी संख्या 2 से 5 सह खातेदार है इसके अलावा उनके कोई अन्य आराजी नही है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का सामलाती कुआं है जिसकी छुट काफी कम है एवं उक्त छुट में इंजन व सामग्री लगी हुई है तथा उक्त कुएं की छुट में रास्ता दर्ज कराना चाहता है जो उचित नही है। प्रार्थीगण अपनी आराजी में सदैव आराजी संख्या 534 में होकर आवागमन करते चले आ है और इसी रास्ते से वैकल्पिक मार्ग है। प्रार्थीगण केवल अपनी सुविधा के लिये यह रास्ता चाहा गया है। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थीगण ओर व स्वयं आराजी संख्या 536 के सह खातेदार है जबकि प्रकरण में विपक्षी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी को इसकी जानकारी मौके पर पटवार हल्का द्वारा रिपोर्ट बनाई जब जानकारी हुई। प्रकरण में प्रार्थीगण ने बिना मेरी सहमति के आवागमन का रास्ता विपक्षी संख्या 2 लगायत 5 आराजी मे से चाहा गया है जो मौके के विपरीत है। प्रार्थीगण एवं मुझ विपक्षी की सामलाती आराजी 536 के आवागमन का रास्ता अन्य आराजी मे है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर के द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि वादी किशनलाल, पंकज पिता लक्ष्मण ना.बा.स. माता मांगीबाई बेवा लक्ष्मण, भुरालाल, शान्तिलाल पिता हजारी, लेहरी बेवा हजारी 1/2 बंशीलाल पिता देवीचन्द 1/2 माली के नाम आराजी नम्बर 536 रकबा 0.43 है भूमि स्थित है। वादीगण ने उक्त आराजी में आने जाने हेतु 12 फीट चौड़ा रास्ता आराजी नम्बर 570 की पश्चिमी मेड़ के किनारे चाहा गया है। उक्त आराजी पर आने जाने हेतु वर्तमान में मौके पर कोई रास्ता नही बना हुआ है। **आराजी नम्बर 570 की पश्चिमी मेड़ पर चौड़ी पाली छोड़ी हुई है जो आराजी नम्बर 535 के कुए की छुट से मिलती है जिसमे से वादी पूर्व में आते जाते रहे है। मौके पर आराजी नम्बर 570 के खातेदार रामा पिता भवाना बैरवा के वारीसान थोहर की बाड़ लगाकर रास्ते को बन्द किया हुआ है।** आराजी नम्बर 536 पर आने जाने हेतु और कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है उक्त आराजी के चारो तरफ खातेदारी भूमिया है। वादीगण आराजी नम्बर 570 की पश्चिमी मेड़ के किनारे 12 फीट चौड़ा रास्ता चाहते है जिसमे 0.0150 वर्गमीटर आता है जिसे नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। डीएलसी दर के अनुसार 148000 प्रति बीघा के रकबा 0.0150 है0 का डीएलसी दर का दुगुना करने पर 20550 रूपये मुआवजा राशि बनती है।

प्रकरण में दोनो अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य को दोहराते हुए एवं तहसील से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तो पाया कि तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता आराजी नम्बर 570 की पश्चिम मेड़ के सहारे सहारे दर्शाया गया है जो प्रार्थी की आराजी में पहुँचने का एकमात्र रास्ता है इसके अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम तौलास तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 536 में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 570 रकबा 0.27 है0 **मे से रकबा 0.0150 है0** भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रवेश करने की सीमा तक की भूमि की बाजार दर 148000/–रूपये प्रति बिघा के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि 150 वर्गमीटर की राशि 10275/–रूपये भूमि की किमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 20550/–रूपये भूमि की मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी बतौर मुआवजा भुगतान करने पर विपक्षी की आराजी नम्बर 570 रकबा 0.27 है0 मे से 0.0150 है0 भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–30/19 (2019/00007) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–किशन आत्मज लक्ष्मण माली निवासी नाबाबे जरिये माता मांगीबाई बेवा लक्ष्मण माली निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2–पंकज आत्मज लक्ष्मण माली निवासी नाबाबे जरिये माता मांगीबाई बेवा लक्ष्मण माली निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

3–मांगीबाई बेवा लक्ष्मण माली निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

4–भुरालाल आत्मज हजारी माली निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

5–शान्तिलाल आत्मज हजारी माली निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1–बंशीलाल आत्मज देवीचन्द माली निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2–केशी पुत्री रामा पत्नि माधु बैरवा नि. तौलास हाल नि. जागदरी तह. व जिला भीलवाडा

3–चांदी पुत्री रामा पत्नि माधु बैरवा नि. तौलास हाल नि. सुन्दरपुरा तह. व जिला भीलवाडा

4–तुलछी पुत्री रामा पत्नि देवीलाल बैरवा नि. तौलास हाल नि. पालड़ी तह.,जिला भीलवाडा

5–भोली पुत्री रामा पत्नि घीसा बैरवा नि. तौलास हाल नि. बामणिया तह. बनेड़ा

6–बक्षु आत्मज मांगु बैरवा निवासी तौलास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम तौलास तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 536 में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 570 रकबा 0.27 है0 **मे से रकबा 0.0150 है0** भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रवेश करने की सीमा तक की भूमि की बाजार दर 148000/–रूपये प्रति बिघा के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि 150 वर्गमीटर की राशि 10275/–रूपये भूमि की किमत बनती है जिसका दुगुना करने पर 20550/– रूपये भूमि की मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी बतौर मुआवजा भुगतान करने पर विपक्षी की आराजी नम्बर 570 रकबा 0.27 है0 मे से 0.0150 है0 भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 05.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.08.24 14:46:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: